17/7/23 पत्रा. फिरोजी वकुलाय उप. - प्रार्थिया
प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर की मौके -
प्रकरण से निकाला जाकर पुनः कायम किया मौके-
शामिल पत्रा. हो। पत्रा. फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
[illegible]

पत्रावली पेश हुई वकुलाय .... पीठासीन
[illegible] .... पधारे हैं।
पत्रावली [illegible] ....
को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री जोगेन्द्रसिंह R.A.S.)

प्रकरण सं. 121/2020
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00273
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 12/07/23

1. पूरन पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी दयावली तह. नदवई जिला भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र यादराम जाति जाट निवासी दयावली तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनिया. एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री जगवीरसिंह एड.(अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल बंन्दोबस्ती आराजी खसरा न. 111/0.63, 1128/0.30 व 1253/0.01, 1254/0.08, 1273/0.07, 1640/112 रकवा 0.07, 1643/1268 रकवा 0.10, 687/0.10 किता 08 कुल रकवा 1.36 है. सें 1/5 हिस्सा व खाता सं. 130 का खसरा न. 106/0.54 है. वाके ग्राम दयावली तहसील नदबई में स्थित है। जो कि सायल व गैरसायल सं. 01 की खातेदारी का रकवा है नकल जमाबंदी संबत 2075–2079 व विवादित खसरा न. के नक्शा ट्रेस संलग्न है।
3. यह कि खसरा न. 106 रकवा 0.54 है. गैरसायल सं. 1 वेदप्रकाश के हिस्से में है व खसरा न. 111 रकवा 0.63 है. सायल के हिस्से में मनवट से कब्जे काश्त में है।
4. यह कि खसरा न. 111 के उत्तरी दिशा में गैरसायल सं. 01 का खसरा न. 106 स्थित है जिसकी आड में गैरसायल, सायल की डौर, मेंढ को तोडकर सायल

सहायक कलक्टर

के खेत में मुड्ढी गढी कर तारबंद कर रहा है जिससे सायल को जोतने, बोने में कांफी दिक्कत होगी जिससे सायल का कम से कम 2–3 फीट का क्षेत्रफल सायल का बिना जुता , बुबा रह जावेगा क्योंकि सायल जब अपने खेत को जोतेगा तो सायल की तरफ गढी हुई मुड्ढी टूट जावेगी व उखड जावेगी जिससे झगडा फसाद होगा और कोई भी अप्रिय घटना कारित हो सकती है, ऐसी स्थिति में गैरसायल मुड्ढी यदि करना चाहता है तो अपने खेत की तरफ गाढकर सुरक्षा बाल कर ले इसमें मुझ सायल को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन गैरसायल ताकतवर व लठैत किस्म का व्यक्ति है जो कि अपने खेत को सुरक्षित डोर तोडकर मेरे खेत में अतिक्रमण कर मुड्ढी गढी कर तारबंदी करना चाहता है जिसको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में सायल गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है कि गेरसायल आराजी खसरा न. 111 में अतिक्रमण नहीं करें व मुड्ढी गढी न करे एवं मौके की स्थिति यथास्थिति बनाये रखे जिसके लिये गैरसायलानों को पाबंद किया जाना आवश्यक है।

5. यह कि दिनांक 12.10.2020 की बात है कि गैरसायल –सायल के खसरा न. 11 की तरफ अतिक्रमण कर मुड्ढीगढी कर तारबंदी कर रहा था तो सायल ने ऐसा करने से मना किया तो गैरसयल ने यह धमकी दी कि मैं तो तेरे खसरा न. 111 में अतिक्रमण करके रहूंगा व मुड्ढी गढी व तारबंदी करके रहूंगा। अगर गैंरसायल अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गया तो सायल को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से नहीं हो सकेगी। अतः सायला, गेरसायलानों को अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करापाने का अधिकारी है कि वह सायल के खसरा न. 111 में कोई अतिक्रमण न करे व मुड्ढी गढी न करे व तारबंदी नहीं करे व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।
6. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायल स्वीकार किया जाकर गैरसालानों का ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह सायल के खसरा न. 111 में अतिक्रमण नहीं करें व मुड्ढी गढी व तारबंदी नहीं करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें व ऐसा कार्य नहीं करें जिससे सायल के हक व हकूकों पर जवाल आवे।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण सं. 01 द्वारा निम्न प्रकार जबाब प्रस्तुत किया गया। जो निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर

1. यह है कि मंद स. 1 प्रार्थन पत्र आंशिक स्वीकार है।
2. यह है कि मंद स. 2 में प्रार्थी द्वारा वह असत्य है कि वादी को अपने खसरा न. लिखने के बाद अप्रार्थी वेदप्रकाश की आराजी को दर्शाया गया है। क्योंकि अब प्रार्थी के साथ अप्रार्थी सं. 1 की आराजी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है, तो एक मद में दर्शाया जाना गलत है, तथा प्रार्थना पत्र की उक्त मद स्वयं के दावे के विरूद्ध साबित होती है। प्रार्थी द्वारा यह कहना कि नक्शा ट्रेस संलग्न है। वह उक्त रिपोर्ट का अवलोकन नहीं किया गया, श्रीमान रिपोर्ट दिनांक मौका पर्चा दयावली पैमाईश दिनांक 03.07.2016 मुताबिक आदेश क्रमांक 17 दिनांक 27.06.2016 स्वयं उक्त रिपोर्ट में हस्ताक्षर पटवारी हल्का दयावली लिखते है कि आराजी खसरा न. 106 रकवा 0.54 है. मुताबिक नक्शा के अनुसार पैमाईश की गई एवं निशानात कायम किये गये उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो रिपोर्ट 03.07.2016 को पेश की गई जब रिपोर्ट पैमाईश सहित पेश की गई तब प्रार्थी को आपत्ति नहीं थी अब मात्र मुड्डी मारकसी जिसमें अप्रार्थी सं. 1 अपनी फसल का रख रखव व अवारा पशुओं से बचाने के लिये स्वयं रिपोर्ट दिनांक 03.07.2016 में जो निशान कायम किये गये हैं। उसी अनुसार मुड्डी तारकसी करना चाहता है।
3. यह कि खसरा न. 106 रकवा 0.54 है. अप्रार्थी की खातेदारी का न्यारानूर रकवा है। जिसकी दिनांक 03.07.2016 की पैमाईश हो चुकी है, परन्तु अब श्रीमान प्रार्थी द्वारा जो लिखाया गया है कि खसरा न. 111 रकवा 0.63 प्रार्थी के हिस्से में कतई गलत व असत्य है। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र में 8 खसरा न. दर्शित की गई तथा कुल रकवा 1.6 है. को 1/5 हिस्सा रकवा 0.27 है. बैठता है, जो खसरा न. 111 रकवा 0.63 तो यह उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार व जमाबंदी सं. 2076 से 2079 के खाता सं. 135 में किता 8 रकवा 1.36 के अनुसार किये आदेश के तहत मात्र रकवा 0.27 है. वाले को रकवा 0.63 है. मिली प्रार्थी व प्रार्थी के वकील

सहायक कलक्टर

यह साबित नहीं कर सकते वाद काबिल खारिजी के है, जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 04 स्वीकार नहीं है। क्योंकि प्रार्थी द्वारा यह ज्ञान नहीं किया कि न्यायालय उक्त वादपत्र का अवलोकन करेगी। अप्रार्थी सं. 1 वेदप्रकाश के जबाबदावा का अवलोकन करेगी तथा वादपत्र के साथ संलग्न जमाबंदी सं. 2076–2079 खाता सं. 135 में खसरा न. 8 रकवा 1.36 है. में हिस्सा प्रार्थी का 1/5 का अवलोकन करेगी। जहां प्रार्थी का मात्र 0.27.2 है. उसका अवलोकन करेगी तो ऐसी दशा में प्रार्थी का खसरा न. 111 रकवा 0.63 है. पर कब्जा कैसे वह क्यों है ? तथा न्यायालय अवलोकन नहीं करेगी, उक्त प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिजी के है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी का अवलोकन नहीं किया कि उसका हिस्सा कितना है ? तथा दिशा चिन्हित किस आशय से की गई जबकि अप्रार्थीसं. 1 वेदप्रकाश जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशसेवा की, वेदप्रकाश द्वारा अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुये सरहद पर देश सेवा की । पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 03.07.2016 के अनुसार मुड्डी व तारकशी कर खींचा ही तो है, जिससे उक्त खातेदारी अधिकार के तहत आवारा पशुओं से खसरा न. 106 रकवा 0.54 में खडी फसल का रख रखाव हो सके। इसलिये प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

8. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2076–2079 वाके ग्राम दयावली, नकल नक्शा ट्रेस वाके ग्राम दयावली पेश की गई।

9. वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप नकल पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 03.07.2016 खसरा न. 106 एवं 80 वाके ग्राम दयावली, नकल फोटोप्रति एफआईआर सं. 422/16 पुलिस थाना नदबई, नकल बहस स्टेटमेन्ट अप्रार्थी पेश किये गये।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

10. प्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। अप्रार्थी वकील ने बहस में किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया।

11. हमने प्रार्थी के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1.<u>प्राईमाफेसी केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत जिसके साथ खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित विवादित आराज़ी खसरा नम्बर हाल बंन्दोबस्ती आराजी खसरा न. 111/0.63, 1128/0.30 व 1253/0.01, 1254/0.08, 1273/0.07, 1640/112 रकवा 0.07, 1643/1268 रकवा 0.10, 687/0.10 किता 08 कुल रकवा 1.36 है. से 1/5 हिस्सा व खाता सं. 130 का खसरा न. 106/0.54 है. वाके ग्राम दयावली तहसील नदबई में स्थित है। जो कि सायल व गैरसायल सं. 01 की खातेदारी का रकवा है, मुख्य रूप से विवाद आराज़ी खसरा न. 106 व 111 की सीमा को लेकर है, खसरा न. 106 गैरसायल सं. 1 वेदप्रकाश के हिस्से में है, खसरा न. 111 सायल के हिस्से में मनवट अनुसार आया है। खसरा न. 111 के उत्तरी दिशा में गैरसायल सं. 1 वेदप्रकाश का ख.न. 106 स्थित है। जिसकी आड़ में गैरसायल डौर मेड़ तोडकर सायल के खेत में तारबंदी व खेत में मुडी करना बताया है। ख.न. 111 से गैरसायल स. 1 का किसी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नही है। दोनो खसरा नम्बर अलग–अलग है तथा एक दूसरे कि सीमा से लगे हुऐ है। परन्तु ग़ैरसायल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पैमाइस दिनांक 03.07.2016 की पेश कि गई जिसमें ख.न. 106 की पैमाइस करते हुऐ निशानात कायम किये गये। जिसमें नक्शाअनुसार रकवा कम बैठना जाहिर किया गया है। तथा पैमाईश को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य फौजदारी भी हुई है जिसमें एफ.आई.आर. भी हुई है। एवं श्रीमान उपखण्ड़ अधिकारी नदबई द्वारा दिनांक 09.10.2020 को प्रार्थी वेदप्रकाश पुत्र यादराम जाति जाट निवासी दयावली के परिवाद पर थानाधिकारी लखनपुर को शांति व्यवरूथा

सहायक कलक्टर

बनाऐ रखने हेतु तथा प्रार्थी को राहत प्रदान कराने हेतु लिखा गया। इस प्रकार उभ्यपक्षकरान के मध्य मुख्य रूप से विवाद दोनो खसरा नम्बरान की सीमा को लेकर है। अतः वाद कि विषय वस्तु को वाद पत्र के निस्तारण तक प्रार्थी किं ख.न. 111 पर हिस्से तक यथावत रखना उचित है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

2. **<u>सुविधा का सतुलन</u>** –सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।
3. **<u>अपूर्ण क्षति</u>** – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो वाद के विषवस्तु में परिवर्तन होती है तो जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि हल्का पटवारी मौके पर जाकर विवादित आराजीयात की पैमाईश करें एवं निशानात कायम करें तथा पैमाईश होने तक उभयपक्षकारान आराजी ख.न. 111 रकवा 0.63 वाके ग्राम दयावली कि मौके कि यथा स्थिति बनाऐ रखने हेतु किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ....12/07/22.... को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
सहायक [illegible] आर.ए.एस.
सहायक [illegible]बई